



थाना जरिया

दिनांक-23.03.2024

थाना जरिया पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना जरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह राजपूत को 01 अदद तमंचा 12 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जरिया में मु0अ0सं0 73/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

देवेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र अर्जुन सिंह राजपूत निवासी ग्राम करही थाना जरिया जनपद हमीरपुर उम्र करीब 36 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 83/2018 धारा 323/504/427/325 भा0द0सं0 थाना जरिया जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 73/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना जरिया जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद तमंचा 12 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रामकुमार
2. हे0का0 तुलसीराम

